



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-24072026-274784
CG-CG-E-24072026-274784

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3812]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 21, 2026/आषाढ 30, 1948

No. 3812]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 21, 2026/ASHADHA 30, 1948

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 18 जुलाई, 2026

रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क के अंतर्गत अधिसूचना

का.आ. 3982(अ).— रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20क की उपधारा (1) जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक उद्देश्य के लिए संतुष्ट होने के बाद ऐसी भूमि का जिसका संक्षिप्त वर्णन संलग्न अनुसूची में दिया गया है, जो कि विशेष रेल परियोजना "खरसिया – नया रायपुर– परमलकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि. मी.)" दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के निष्पदान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के जिला-बलौदा बाजार में आवश्यक है, एतद् द्वारा अधिग्रहण करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिन के भीतर उक्त, अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन, पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये ऐसी भूमि के अर्जन एवं उपयोग के संबंध पर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/ पलारी जिला-बलौदा बाज़ार, छत्तीसगढ़, को लिखित में किया जायेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायें तथा सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से विधी व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी अतिरिक्त जांच, यदि कोई हो, तो करने के पश्चात् जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा, इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि या रेखांकन एवं अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची

“खरसिया – नया रायपुर– परमलकसा 5वीं एवं 6वीं लाइन (278 कि. मी.)” परियोजना के निर्माण के लिए, बलौदा बाज़ार जिले के अंतर्गत, अधिग्रहण किये जाने के लिए संरचना सहित या उनके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण—

जिले का नाम बलौदा बाज़ार- भाटापारा

(छत्तीसगढ़ राज्य)

क्र. संख्या	तहसील	गाँव का नाम	खसरा/ प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	पलारी	खपरी	128/4	0.044
2			132/1	0.01
3			133/1	0.11
4			132/8	0.026
5			155/3	0.054
6			162/2	0.196
7			164/7	0.051
8			166/12	0.015
	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =			0.506
9	पलारी	परसवानी	53/3	0.026
10			63/5	0.003
11			48	0.055
12			93/6	0.046
13			106/1	0.04
14			125/3	0.06
	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =			0.230
15	पलारी	गितकेरा	232	0.043
16			67	0.032
17			102	0.001
	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =			0.076
18	पलारी	रेंगाडीह	297/10	0.008
19			297/11	0.002
	कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =			0.010
20	पलारी	सरकीपार	282/22	0.56
21			439	0.087

क्र. संख्या	तहसील	गाँव का नाम	खसरा/ प्लॉट संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.647
22	पलारी	अमलीडीह	30	0.004
23			64/1	0.242
24			147/5	0.001
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.247
25	पलारी	गाडाभाठा	149/3	0.078
26			121	0.001
27			672/8	0.142
28			672/10	0.18
29			672/11	0.027
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.428
30	पलारी	छिराही	1515/6	0.1210
31			1457	0.0081
32			1571/2	0.0530
33			1339/51283	0.002
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.1841
34	पलारी	चुचरूंगपुर	698/3	0.1741
35			701/4	0.1053
36			672/4	0.1538
			कुल क्षेत्रफल हेक्टेयर में =	0.4332
		सम्पूर्ण क्षेत्रफल हेक्टेयर में = 2.7613		

[फा. सं. डीसीई/सी/बीएसपी/5वीं एवं 6वीं/केएचएस-पीएमएस/20/क]

मुदित भटनागर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS**(South East Central Railway)****NOTIFICATION**

Bilaspur, the 18th July, 2026

Notice Under Section 20A of the Railway Act, 1989

S.O. 3982(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land brief description of which is given in the schedule annexed hereto is required for the execution of Special Railway Project, namely construction of “Kharsia-Naya Raipur-Parmalkasa 5th and 6th Line of South East Central Railway (278 Km)” in Baloda-Bazar district of state of Chhattisgarh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may within a period of 30 days from the date of publication of this notification in the official gazette raise objection to the acquisition of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every objection shall be made to the Competent Authority namely **Sub Divisional officer (Revenue), Palari, Dist.-Baloda Bazar- Bhatapara**, Chhattisgarh, in writing and shall set out grounds thereof and the competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or through a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said act shall be final. The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority for Land Acquisition (CALA).

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely construction of “Kharsia-Naya Raipur-Parmalkasa 5th and 6th Line of South East Central Railway (278 Km)” **Baloda Bazar-Bhatapara** District in the state of Chhattisgarh.

Name of District –Baloda Bazar**(State -Chhattisgarh)**

No.	Tehsil	Name of village	Khasara/ Number	Area (in hectares)
1	Palari	Khapri	128/4	0.044
2			132/1	0.01
3			133/1	0.11
4			132/8	0.026
5			155/3	0.054
6			162/2	0.196
7			164/7	0.051
8			166/12	0.015
	Total area in hectares =			0.506
9	Palari	Paraswani	53/3	0.026
10			63/5	0.003
11			48	0.055
12			93/6	0.046
13			106/1	0.04
14			125/3	0.06
			Total area in hectares =	
15	Palari	Gitkera	232	0.043
16			67	0.032
17			102	0.001
	Total area in hectares =			0.076
18	Palari	Rengadih	297/10	0.008
19			297/11	0.002

No.	Tehsil	Name of village	Khasara/ Number	Area (in hectares)
			Total area in hectares =	0.010
20	Palari	Sarkipar	282/22	0.56
21			439	0.087
			Total area in hectares =	0.647
22	Palari	Amlidih	30	0.004
23			64/1	0.242
24			147/5	0.001
			Total area in hectares =	0.247
25	Palari	Gadabhatha	149/3	0.078
26			121	0.001
27			672/8	0.142
28			672/10	0.18
29			672/11	0.027
			Total area in hectares =	0.428
30	Palari	Chhirahi	1515/6	0.1210
31			1457	0.0081
32			1571/2	0.0530
33			1339/51283	0.002
			Total area in hectares =	0.1841
34	Palari	Chuchrungpur	698/3	0.1741
35			701/4	0.1053
36			672/4	0.1538
			Total area in hectares =	0.4332
			G.Total Area in hectares =2.7613	

[F. No. DCE/C/BSP/5th & 6th/KHS-PMS/20A]

MUDIT BHATNAGAR, Chief Administrative Officer(Construction)